

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना -- 800015

दूरभाष सं०:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611 / 2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 20.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निर्देश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 3,961 लीटर अवैध शराब के अतिरिक्त मुंगेर जिला में 1 मैग्जीन, 1 बेस मशीन, 1 ड्रिल मशीन जब्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त रोहतास जिले में ₹8,25,555/—, सीतामढ़ी जिले में 1,00,000 नेपाली मुद्रा एवं ₹1,70,650/— एवं पटना एयरपोर्ट पर एन० श्रीध रनाम व्यक्ति के पास से ₹30,00,000/— जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	85
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	31
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	8
Violation of Loudspeaker Act	2
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	1
Others	89

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	11
No. of cartridges seized	23
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	1
No. of Licensed Arms verified	401
No. of Licensed Arms deposited	626
No. of Licensed Arms Cancelled	15

No. of non-bailable warrants executed

1,057

Fine collected in vehicle checking

Rs. 20,78,605

4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर द्वितीय चरण के जिलों यथा कैमूर (भभुआ), रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं गया जिला के कुल 32 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 को जारी कर दी जायेगी। उक्त जिलों के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 28 सितम्बर, 2015, नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 29 सितम्बर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 12 अक्टूबर, 2015 निर्धारित है।
